(6)

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर श्रृंखला
न्यायालय रीवा, जिला– रीवा (म.प्र.)

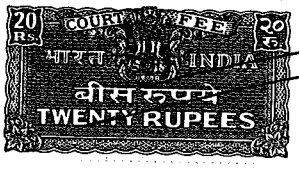

568
22.9.14

Rs. 20/-

R-3476-III/14

आफताब अली खॉन तनय आशिक अली खॉन उम्र– 49 वर्ष, पेशा– वकालत, निवासी ग्राम– कोटहा (सर्वोदय चौराहा के पास), तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

———— निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती मनीषा खॉनम पत्नी मानिन्द शेर अली खॉन पुत्री जुल्फकार खॉन निवासी ग्राम– अमहा, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
2. मो0 हुसैन खॉन तनय अकबर खॉन मुसलमान निवासी ग्राम– कोटहा, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
3. म0प्र0 शासन

——— गैरनिगरानीकर्तागण

श्री ... एड द्वारा आज दिनांक.. 22.9.14 .. को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3238
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज ... को ...
29-9-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील– गोपदबनास, गिर्द– प्रथम द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक– 32/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक– 16.09.2014 को अपास्त किया जाकर निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु।

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

{अ} यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम– कोटहा, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी की आराजी खसरा क्रमांक– 233 पूर्व में तिलकराज सिंह तनय बेनीमाधव सिंह चौहान सा0– कोटहा के स्वामित्व एवं कब्जे वखल की भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3476-तीन/2014 जिला सीधी

आफताब अली खान विरूद्ध मनीषा सानम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–8–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार गोपदबनास गिर्द–प्रथम जिला सीधी के प्रकरण कमांक 32/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16–9–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि तहसीलदार ने पटवारी प्रतिवेदन मंगाने का आदेश दिया था, परन्तु प्रतिवेदन प्राप्त करने के पहल ही प्रकरण में तर्क लेकर प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 24–9–2014 को नियत करने में त्रुटि की है। आवेदक ने प्रकरण में तहसीलदार से स्वयं स्थल निरीक्षण हेतु अनुरोध किया था जिसपर ध्यान न देकर प्रकरण आदेश हेतु नियत करने में त्रुटि की है। 3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने दिनांक 30–4–2014 में पटवारी प्रतिवेदन मंगाने का आदेश दिया है। दिनांक 20–5–2014 को राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन मांगा जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित थे और दिनांक 6–6–14 की तारीख निर्धारित की है, परन्तु याचिकाकर्ता ने दिनांक 6–6–14 से 16–9–14 के बीच की आदेश पत्रिका की नकल प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए यह	

प्रकट नहीं होता है कि दिनांक 6–6–14 से 16–9–14 के बीच पटवारी अथवा राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त हुए अथवा नहीं। फिर दिनांक 16–9–14 की आदेश पत्रिका में दोनों पक्षों के लिखित तर्क प्राप्त करने एवं पेशी दिनांक 24–9–14 आदेश हेतु नियत किये जाने का उल्लेख है। दिनांक 16–9–14 को आवेदक की कोई आपत्ति किये जाने का भी उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा दिनांक 24–9–14 को हुये कार्यवाही तथा प्रकरण की वर्तमान स्थिति के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। दर्शित परिस्थितियों में निगरानी ग्राह्य करने का कोई आधार प्रकट न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य